दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 02.11.2023

उद्घोषित: 05.02.2024

<u>आप.वि.वा.101/2020 और आप.वि.आ.457/2020</u>

श्री बी. सांबी रेड्डी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राजू मोहन और सुश्री अरन्या सिन्हा, अधिवक्तागण

बनाम

सी.बी.आई. (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री राजेश कुमार, सी.बी.आई. के वि.लो.अभि. सह मिशिका पंडिता, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें 'सी.बी.आई. बनाम बी. सांबी रेड्डी

और अन्य' शीर्षक वाले मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली ('विद्वान विचारण न्यायालय') द्वारा पारित दिनांक 16.11.2019 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत संबंधित दस्तावेजों को तलब करने के याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि 04.01.2015 को, सी.बी.आई. ने किसी श्री के.वी. सिंह यानी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, ('पीसी अधिनियम') की धारा 7 के तहत नि.मा. सं. 217-2015 ए 0001/एसीयू-वी के के तहत मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता के खिलाफ एक मामले की जांच सी.बी.आई. में चल रही थी और चल रही जांच में शिकायतकर्ता का पक्ष लेने के लिए याचिकाकर्ता ने उससे 25 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसे बाद में याचिकाकर्ता ने घटाकर 10 लाख कर दिया था। मांग के अनुसार रिश्वत की रकम 10 लाख रुपये उसे 5-5 लाख रुपये की दो किश्तों में दी जानी थी, पहली किस्त 04.01.2015 को दी जानी थी। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसपी, सी.बी.आई., एसीयू-वी,

नई दिल्ली के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पहली किस्त में 5 लाख रुपये की मांग की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता केवल 1 लाख रुपये का ही इंतजाम कर पाया। उसके बाद, उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर, सी.बी.आई. द्वारा गठित, दो स्वतंत्र गवाहों और अभियुक्त सहित एक ट्रैप टीम को 04.01.2015 को मयूर विहार, दिल्ली में 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग करते और इसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

3. पूछताछ के दौरान, याचिकाकर्ता ने खुलासा किया था कि उसने सी.बी.आई. के बीएस एंड एफसी दिल्ली में पंजीकृत नि.मा. सं. बीडी1/2013/ई/002 दिनांक 28.02.13 के जांच अधिकारी श्री संजय झा की ओर से रिश्वत की मांग की थी। जांच में खुलासा हुआ कि चूंकि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता, जो रिश्वत नहीं देना चाहता था उससे रिश्वत की मांग की थी, इसलिए, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता की बातचीत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने का फैसला किया था। उक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग करने के लिए 14.12.2014, 15.12.2014, 16.12.2014, 22.12.2014, 29.12.2014 और 03.01.2015 को कई कॉल की थीं। जांच में आगे खुलासा हुआ कि वर्तमान याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच टेलीफोन पर हुई फँसाने वाली बातचीत के रूप में पर्याप्त विश्वसनीय सबूत थे, जिसमें यह साबित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ सी.बी.आई. द्वारा जांच किए गए

मामले में उसका पक्ष लेने के लिए रिश्वत माँगी थी। जांच पूरी होने के बाद, सी.बी.आई. ने याचिकाकर्ता और संजय कुमार झा के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 7, 8 और 13 (2), 13 (1) (घ) के सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 03.03.15 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने 09.05.2016 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप विरचित किए थे। याचिकाकर्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया था और उसका निपटान विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.11.2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से कर दिया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को वर्ष 2011 में देना बैंक के उत्तर भारत क्षेत्र के आंचलिक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यालय पंचकुला, हरियाणा में था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा कई अनियमितताएं की गई थीं और सह-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग की गंभीर अनियमितताओं का मुकदमा चलाने के लिए शिकायतकर्ता के नाम की सिफारिश की थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पहले याचीगण ने दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे कड़कड़डूमा न्यायालय के विद्वान विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के

आवेदन के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों को तलब करने के लिए दिनांक 17.12.2018 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी थी। इसके बाद, दिनांक 15.04.2019 के आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने आईओ और अभियुक्त को पंचकुला, हरियाणा के संबंधित न्यायालय में जाने और उसी की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, ऐसे दस्तावेजों की जांच करने पर याचिकाकर्ता को पता चला कि जांच अधिकारी ने उसे शिकायतकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने के लिए आवश्यक कुछ प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। इसके बाद, शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों को मंगाने के लिए याचिकाकर्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दूसरा आवेदन दायर किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक कहे गए दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार किए बिना दिनांक 16.11.2019 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण के इस चरण में, याचिकाकर्ता के लिए शिकायतकर्ता से संबंधित कुछ दस्तावेजों की जांच करना प्रासंगिक है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यहां देना बैंक, पंचकुला, हरियाणा में आंचलिक प्रबंधक के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के लिए सी.बी.आई. के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के लिए इन दस्तावेजों की जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि प्रतिपरीक्षा के चरण में शिकायतकर्ता से सवाल पूछे जा सकें। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***पी. पोन्नुसामी बनाम तमिलनाडु राज्य*** *2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1543,* ***नित्य धर्मानंद बनाम गोपाल शेलम रेड्डी*** *(2018) 2 एससीसी 93,* ***संजीव नरूला बनाम वुडक्राफ्ट्स फर्निशर्स*** *2023 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 4381 और* ***सुंदर@सुंदरराजन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य*** *2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 310* पर भरोसा जताया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी जाए।

6. दूसरी ओर, सी.बी.आई. के विद्वान विशेष अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दिनांक 15.04.2019 के आदेश के अनुसार अनुरोध किए गए सभी दस्तावेज प्रदान किए जाने के बावजूद दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत कई आवेदन दायर करके विचारण में देरी करने की कोशिश कर रहा है। विद्वान विशेष अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 के आदेश के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, जांच अधिकारी पंचकुला के संबंधित न्यायालय में गया था और अभियुक्त की सहायता से कोर्ट फ़ाइल के निरीक्षण के लिए संबंधित विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. के समक्ष आवेदन दायर किया था और इस आवेदन को अनुमति दे दी

गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फाइलों का निरीक्षण करने और दस्तावेजों की पहचान करने के बाद प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया था और याचिकाकर्ता को वह उपलब्ध करा दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि दस्तावेज मांगने का अधिकार अभियुक्त व्यक्तियों को उपलब्ध एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनाने के लिए अभियोजन पक्ष जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा है, वे पहले ही उसे उपलब्ध कराए जा चुके हैं और यह स्थापित कानून है कि अभियोजन साक्ष्य के चरण में अभियुक्त केवल उन दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया है ताकि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर सके। यह बचाव साक्ष्य चरण के दौरान है, कि अभियुक्त उन दस्तावेजों को तलब करने का अनुरोध कर सकता है जिन्हें वह अपने मामले को साबित करने के लिए आवश्यक मानता है। ***उड़ीसा राज्य बनाम देबेन्द्र नाथ पाडी,*** *(2005) 1 एससीसी 568* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और ***सुखमोहिन्दर संधू और अन्य बनाम सी.बी.आई.*** *2010 VII एडी (दिल्ली) 617* में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया गया है।

7. इस न्यायालय ने आवेदक और राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

8. इस न्यायालय ने विद्वान विशेष न्यायाधीश, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 17.12.2018 के आदेश का अवलोकन किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दायर आवेदन को न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "इस मामले के जाँच अधिकारी को इस बात की पुष्टि करने का निर्देश दिया जाता है कि उक्त 14 दस्तावेज वर्तमान में कहां हैं और यदि वे पंचकुला न्यायालय में उक्त मामले में आरोप-पत्र का हिस्सा हैं, तो उक्त मामले में एक पक्षकार होने के नाते सी.बी.आई. को निर्देश दिया जाता है कि वह उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करे और इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख पर इन्हें प्रस्तुत करे या यदि ये आरोप पत्र का हिस्सा नहीं हैं, तो सी.बी.आई. को निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायालय में ये दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसकी प्रतियां आवेदक/अभियुक्त को दी जाएं।
>
> आवेदन का निपटान किया जाता है...".

9. इस न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.04.2019 के आदेश का अध्धयन किया है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह उचित समझा जाता है कि अभियुक्त बी. सांबी रेड्डी को संबंधित सी.बी.आई. अधिकारियों के साथ पंचकुला, हरियाणा में संबंधित न्यायालय में जाने का निर्देश दिया जाए, जहां ओबीआई अधिकारी निरीक्षण के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं और

अभियुक्त की सहायता से कोर्ट फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि दिनांक 17.12.2018 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों को जिन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी, उनकी पृष्ठ संख्या/संख्या को नोट किया जा सके और उनकी प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया जा सके और सी.बी.आई. अधिकारियों द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सके। विद्वान अतिरिक्त पीपी सी.बी.आई. संबंधित एसपी को इस आदेश को सूचित करके अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ताकि पंचकुला, हरियाणा में सी.बी.आई. न्यायालय के समक्ष लंबित फाइल का निरीक्षण करने के लिए अभियुक्त बी. सांबी रेड्डी के साथ समन्वय करने के लिए 10/एचआईओ या सी.बी.आई. के किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जा सके।"

10. इस न्यायालय ने दिनांक 16.11.2019 के आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त को उन दस्तावेजों, जिन्हें उसे उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी, की पृष्ठ संख्या/संख्या का पता लगाने के लिए, सी.बी.आई. अधिकारियों के साथ हरियाणा के पंचकुला में संबंधित न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया था।

इस न्यायालय को 09.05.2019 को सूचित किया गया कि दस्तावेजों के लिए आवेदन किया गया था। बाद में, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गईं और आवेदक/अभियुक्त को दी गईं। हालाँकि, इसके बाद आवेदक/अभियुक्त ने दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत एक और आवेदन दायर किया जो विचाराधीन है।

आवेदन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा की गई प्रस्तुतियों के विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की प्रतियां, जो उसे नहीं दी गईं थीं, यह इस तथ्य के कारण था कि पंचकुला में प्रतिलिपि एजेंसी ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था। हालांकि आवेदक/अभियुक्त ने उन दस्तावेजों का

विवरण दिया है, जो उसे प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन वह यह निर्दिष्ट करने में विफल रहा है कि क्या उक्त दस्तावेज उन 14 दस्तावेजों की सूची में आते हैं, जिन्हें दिनांक 17.12.2018 के आदेश के माध्यम से उसे देने की अनुमति दी गई थी। किसी भी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त ने जिन दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं, उनमें से अधिकांश पहले ही उसे दी जा चुकी हैं और शेष उसे नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि संबंधित न्यायालय की प्रतिलिपि एजेंसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और सी.बी.आई. की संबंधित शाखा के पास भी उसकी प्रतियां नहीं हैं।

अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दायर तत्काल आवेदन का निपटान इस टिप्पणी के साथ करना उचित समझा जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त अपने बचाव में रखने के लिए अनुपलब्ध दस्तावेजों पर भरोसा करना आवश्यक समझता है, तो वह संबंधित न्यायालय से उस फाइल को तलब कर सकता है, यदि वह ऐसा चाहता है।

आवेदक/अभियुक्त बी. सांबी रेड्डी की ओर से दायर आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

16.12.2019 और 17.12.2019 को अभि.सा.-1 श्री के.वी.सिंह की प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया जाए"।

11. यह न्यायालय टिप्पणी करता है कि याचिकाकर्ता को अभियोजन साक्ष्य के चरण में शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के लिए कुछ प्रासंगिक दस्तावेजों को तलब करने की आवश्यकता है। उक्त उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह सबसे पहले दं.प्र.सं. की धारा 91 को पुन: प्रस्तुत और दोहराए:

"खंड 91: दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन:

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात- (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी; अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी"।

12. ***वी.एल.एस. फाइनेंस लिमिटेड बनाम एसपी गुप्ता*** *(2016) 3 एससीसी 736* के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रावधान के दायरे और परिधि को दोहराया है, इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"49. उक्त प्रावधान के दायरे और परिधि पर **उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी** [उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी, **(2005) 1 एससीसी 568:**

2005 एससीसी (सीआरआई) 415] में विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पृष्ठ 579-80, पैरा 25)

"25. ... **अनुभाग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दस्तावेज के आवश्यक या वांछनीय होने के बारे में है। आवश्यकता या वांछनीयता को उस चरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जब प्रस्तुति के लिए प्रार्थना की जाती है।** यदि अभियुक्त के बचाव के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक या वांछनीय है, तो आरोप विरचित करने के प्रारंभिक चरण में धारा 91 को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अभियुक्त का बचाव उस चरण पर प्रासंगिक नहीं है। जब यह धारा जांच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित हो तो यह ध्यान में रखा जाता है कि इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी किसी दस्तावेज को समन करने और प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय का रुख कर सकता है, जैसा कि धारा में उल्लिखित किसी भी चरण में आवश्यक हो। **जहां तक अभियुक्त का संबंध है, धारा 91 के तहत आदेश प्राप्त करने का उसका अधिकार आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आएगा। जब यह धारा दस्तावेज के आवश्यक और वांछनीय होने की बात करती है, तो यह अंतर्निहित है कि आवश्यकता और वांछनीयता की जांच उस चरण पर विचार करते हुए की जानी चाहिए जब तलब और प्रस्तुत करने के लिए ऐसी प्रार्थना की जाती है और जो पक्ष इसे करता है, क्या वह पुलिस है या अभियुक्त।** यदि धारा 227 के तहत, जो आवश्यक और प्रासंगिक है, वह केवल संहिता की धारा 173 के संदर्भ में प्रस्तुत अभिलेख है, तो अभियुक्त उस चरण में अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए धारा 91 को लागू नहीं कर सकता है। धारा 91 के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा समन जारी किया जा सकता है और एक लिखित आदेश के तहत पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। धारा 91 अभियुक्त को अपने बचाव को साबित करने के लिए अपने पास मौजूद दस्तावेज को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं देती

है। धारा 91 मानती है कि जब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।"
विधि का उपरोक्त व्याख्यान दं.प्र.सं. की धारा 91 के दायरे के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है और हम इससे सहमत हैं।"

13. दं.प्र.सं. की धारा 91 का व्यापक विश्लेषण निम्नलिखित मूलभूत तत्वों को प्रकट करेगा:

I. समन जारी करके दस्तावेजों या अन्य चीजों की प्रस्तुति के लिए धारा 91 को लागू किया जा सकता है।

II. दं.प्र.सं. के तहत जांच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में धारा 91 लागू की जा सकती है।

III. यह मांग तब हो सकती है जब न्यायालय या पुलिस दं.प्र.सं. के तहत जांच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य से दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण को आवश्यक या वांछनीय समझे।

IV. इस प्रावधान को लागू करने के लिए न्यायालय या पुलिस की आवश्यकता या वांछनीयता का पूरा किया जाना आवश्यक है।

V. दस्तावेजों या अन्य चीजों का प्रस्तुतिकरण न्यायालय द्वारा निर्देशित होने पर न्यायालय के समक्ष, या पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित होने पर उस अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए।

14. न्यायालय ने टिप्पणी की कि मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने पहले दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया था और दिनांक 17.12.2018 के आदेश के तहत आवेदन की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने थे। उसके बाद दिनांक 15.04.2019 के आदेश के माध्यम से, विद्वान विचारण न्यायालय ने सी.बी.आई. को याचिकाकर्ता के साथ संबंधित न्यायालय में जाने और याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों को चिह्नित करने और उनकी प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने के बाद उसे वही प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दूसरा आवेदन दायर किया, जिसमें शिकायतकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने के लिए संबंधित दस्तावेजों को तलब करने की मांग की गई। आवेदन में आगे यह भी तर्क दिया गया कि उसके पक्ष में आदेश पारित होने के बावजूद, जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.11.2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के दूसरे आवेदन को खारिज कर दिया था। जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों को तलब करने और 16.11.2019 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की मांग कर रहा है।

15. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि श्री विजय कुमार गुप्ता और अन्य के विरुद्ध दिनांक 28.02.2013 को बीएस एंड एफसी नई दिल्ली में नि.मा. बीडी 1/2013/ई 0002 दायर किया गया था। उक्त नि.मा. में यह आरोप लगाया गया था कि मेसर्स एचआरएम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने देना बैंक, पंचकुला जोन के शाखा प्रबंधक के साथ मिलकर 29.94 करोड़ रुपये की धनराशि का दुरुपयोग और हेराफेरी की और इस तरह देना बैंक को धोखा दिया। उस समय शिकायतकर्ता देना बैंक के उत्तर भारत क्षेत्र के आंचलिक प्रबंधक के रूप में तैनात था जिसका कार्यालय पंचकुला, हरियाणा में था और उक्त मामले की जांच के दौरान उसकी भूमिका की जांच की गई थी क्योंकि वह मैसर्स एचआरएम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में पंचकुला के देना बैंक के आंचलिक प्रबंधक की हैसियत से सहायक था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि सह-अभियुक्त यानी श्री संजय कुमार झा ने वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी और इसलिए शिकायतकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने और उसे उक्त दस्तावेजों से रूबरू कराने के लिए उक्त मामले के कुछ दस्तावेजों को तलब करना प्रासंगिक होगा।

16. यह न्यायालय टिप्पणी करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेज केस फाइल या उसके खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित दस्तावेजों से संबंधित नहीं हैं, बल्कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ सह-अभियुक्त

की शिकायत पर कथित रूप से दर्ज किए गए एक अन्य मामले का हिस्सा हैं। दूसरी ओर, यह सी.बी.आई. का मामला है कि जो दस्तावेज याचिकाकर्ता को पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं, वे किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले से संबंधित नहीं हैं और न ही अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए उन पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया है। फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय के आदेशों से याचिकाकर्ता को पहले ही दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसका तात्पर्य केवल यह है कि याचिकाकर्ता विचारण में देरी करने की कोशिश कर रहा है।

17. इस न्यायालय का मानना है कि याचीगण के लिए मामले के आगे के न्यायनिर्णयन को सुविधाजनक बनाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता स्थापित करना एक ***अनिवार्य शर्त*** है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं देता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को उचित संदेह से परे दावा करने के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया गया है। इसके बजाय, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर दायर एक अन्य मामले का संदर्भ दिया है। न्यायालय के निर्धारण में, इस मोड़ पर जब विचारण अभियोजन साक्ष्य के चरण में है, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित नहीं किया है कि ये दस्तावेज इस चरण में जांच के लिए प्रासंगिक क्यों हैं। यदि उसे उनकी आवश्यकता है, तो वह

उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दायर कर सकता है क्योंकि वे दूसरे राज्य से संबंधित हैं और यदि वह इन्हें प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह वहां के उचित न्यायालय में जा सकता है।

18. हालाँकि, यह न्यायालय टिप्पणी करता है कि ***मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** *(2023) 2 एससीसी 353* के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 243 के साथ-साथ धारा 91 दं.प्र.सं. के प्रावधान को पढ़ा है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> 205. ....इस संदर्भ में, **धारा 91 और 243 दं.प्र.सं. को पढ़ना जैसा कि मनु शर्मा [मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2010) 6 एससीसी 1: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 1385]** में किया गया है, इसका संदर्भ लेना महत्वपूर्ण है: (मनु शर्मा मामला [मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2010) 6 एससीसी 1: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 1385], एससीसी पृष्ठ 85, पैरा 217)
>
> > "217. ... धारा 91 न्यायालय को संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी जांच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी भी दस्तावेज या चीज की प्रस्तुति को तलब करने का अधिकार देती है, जिसे न्यायालय आवश्यक या वांछनीय समझता है। **जबकि धारा 243 के सहपठित धारा 91 में कहा गया है कि यदि अभियुक्त को अपने बचाव में उतरने और वहां अपने साक्ष्य पेश करने के लिए कहा जाता है तो उसे जांच, प्रतिपरीक्षा या किसी दस्तावेज या अन्य चीज के प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से किसी भी गवाह को तलब करने**

की प्रक्रिया जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार भी दिया गया है, जिसके लिए न्यायालय को एक तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा।"

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि दस्तावेजों को तलब करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दायर करने का याचिकाकर्ता का अधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए और जिन दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहता है, उन्हें कानून के अनुसार बचाव साक्ष्य के चरण में तलब किया जा सकता है। इस चरण में, इस न्यायालय को विद्वान विशेष न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 16.11.2019 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है।

20. तदनुसार, लंबित आवेदन सहित वर्तमान याचिका, यदि कोई हो, खारिज की जाती है।

21. हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष कानून के अनुसार विचारण के प्रासंगिक चरण में उचित उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

22. निर्णय को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

5 फरवरी, 2024/जेडपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*